न्यायालय : रंजन कुमार मिश्र, अपर सत्र न्यायाधीश, XI, दरभंगा

जमानत आवेदन संख्या–352 / 2026

1. विवेक कुमार उर्फ विवेक कुमार यादव, पे0–चंदर यादव, साकिन–बरकी डाईन, थाना–पतोर, जिला–दरभंगा उम्र 26 वर्ष.....आवेदक।

बनाम

1. बिहार सरकार ..... विपक्षी।

==========

आवेदक की ओर से : श्री महेन्द्र यादव, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

==========

आदेश

14.05.2026 : – यह नियमित जमानत आवेदन काराधीन आवेदक अभियुक्त **विवेक कुमार उर्फ विवेक कुमार यादव,** जो दिनांक **11.03.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, कि ओर से धारा–483 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत **सदर थाना काण्ड संख्या–90 / 2026** अन्तर्गत बी0एन0एस0 की धारा **309(4), 3(5) BNS एक्ट** जो **विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा** के न्यायालय में लम्बित हैं, में नियमित जमानत आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहॉ दाखिल किया गया, जिसे विचारण एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में हस्तानांतरण कर भेजा गया, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री महेन्द्र यादव,** एवं विद्वान लोक अभियोजक **श्री अमरेन्द्र नारायण झा** को सुना गया।

अभियोजन का वाद संक्षिप्त में यह है कि सूचक रविशंकर कुंवर का कारोबार भगवान दास मुहल्ला जे0पी0 चौक, दरभंगा पिंकी ट्रांसपोर्ट के नाम से संस्थित है। सोमवार की सुबह लगभग 03:10 ए0 एम0 (09.03.2026) को सूचक के ड्राईवर के द्वारा सूचित किया गया कि धोई घाट (धोई चट्टी) के समीप तीन अज्ञात लोग व्हाईट रंग के अपाची बाईक से गाड़ी को रोका, तुरंत में तीनों बाईक से उतरे तथा पिस्टल निकालकर ड्राईवर को गाड़ी से उतारा और मारा तथा उसका सारा सामान (जैसे कि पैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस तथा मोबाईल) छीनकर जान से मारने की धमकी दिया और लेकर फरार हो गया जो कि सूचक का बोलेरो पिकअप गाड़ी संख्या BR06GB2407 है। गाड़ी में सामान 1. दवाईया–10 कार्टुन, 02. पंखा–10 कार्टून, 03. कपड़ा–तीन बोरा, 04. चप्पल–25 कार्टून, 12 बोरा, 05. कोसमेटिक–6 कार्टून कुल अनुमानित कीमत 6,00000 / –रूपया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक का जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही कोई जमानत का आवेदन पत्र कहीं लंबित है। आगे उनका कहना है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आगे उनका कहना है कि जांच के दौरान पुलिस ने रवि कुमार नाम

न्यायालय : रंजन कुमार मिश्र, अपर सत्र न्यायाधीश, XI, दरभंगा

जमानत आवेदन संख्या–352 / 2026

के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि मेरे गांव के ही नीतीश कुमार और संजीव कुमार ने मुझे फोन करके कहा कि मैं अपनी पिकअप वैन लेकर आउं, क्योंकि उन्हें दुकान के मालिक के पास कुछ सामान भेजना है जिसका किराया मुझे दे दिया जायेगा। इस जानकारी के आधार पर मैं अपनी पिकअप वैन लेकर वहां पहुंचा, जहां उपर बताये गये व्यक्त्यिों ने अपना सामान वैन में लादा और मुझे उस जगह ले गये जहां उन्होंने अपना सामान आवेदक को बेच दिया जिसके बदले में नीतीश कुमार और अन्य लोगों के खाते में बीस हजार रूपये का नकद भुगतान किया गया। आगे उनका कहना है कि उक्त स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर पुलिस ने आवेदक के घर पर छापा मारा और आवेदक के घर से चोरी की संपत्ति बरामद की गयी थी। आगे उनका कहना है कि आवेदक को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि सामान बेचने वाला व्यक्ति अपराधी है और वह चोरी की संपत्ति बेच रहा है। आगे उनका कहना है कि आवेदक एक दुकान का मालिक है और उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आगे उनका कहना है कि आवेदक के खिलाफ बी0एन0एस0एस0 की धारा 309(4) के तहत कोई मामला नहीं बनता है बल्कि ज्यादा से ज्यादा उसके खिलाफ धारा 317(1), (2) (5) के तहत मामला बन सकता है क्योंकि अपराध करने के बाद चोरी का सामान आवेदक को बेचा जा रहा था और आवेदक को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह सामान चोरी का है। आगे उनका कहना है कि आवेदक न्यायालय की सभी शर्तों को पालन करने के लिए तैयार हैं। अंत में वे आवेदक को जमानत पर छोड़ने का निवेदन करते है।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुये जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख एवं केस दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्राथमिकी बी0एन0एस0 की धारा **309(4), 3(5)** में तीन अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया है। आवेदक का नाम रवि कुमार के स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका–39 में आवेदक अभियुक्त विवेक कुमार के घर पर छापामारी किया गया तो घर से तीन कार्टून Kwiker लिखा हुआ जिसके अंदर लेडिज, जेंस चप्पल 2. 08 बोरा उजला रंग का जिसके अंदर eva नाम का चप्पल पाया गया। बरामद सभी सामानों के बारे में विवेक कुमार (आवेदक) से पूछताछ किया तो विवेक कुमार के द्वारा बताया गया कि संजीव कुमार यादव, ऋषि यादव एवं नीतीश कुमार यादव के द्वारा उन्हें बेचा गया है जिसके ऐवज में उसने कुल बीस हजार रूपया ऑन लाईन पेमेंट किया है। पारा–41 केस दैनिकी से विदित होता है कि आवेदक की दुकान से लूटा हुआ कुछ चप्पल बरामद की गई है। कांड दैनिकी में अभियुक्त धर्मवीर

न्यायालय : रंजन कुमार मिश्र, अपर सत्र न्यायाधीश, XI, दरभंगा

जमानत आवेदन संख्या–352 / 2026

सहनी का स्वीकारोक्ति बयान उपलब्ध है जिसमें उन्होंने इस कांड में अन्य सहयोगियों को शामिल रहने की बात को स्वीकार किया है। कांड दैनिकी में वादी सहित अन्य साक्षियों ने मामले का समर्थन किया है। केस दैनिकी के कंडिका–111 से विदित होता है कि इस केस में लूटी गई वाहन BR06GB-2407 मनौरा चौर के गाछी से लावारिस अवस्था में बरामदगी की गई है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं एवं इस वाद में अनुसंधान अभी जारी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक के विरूद्ध आरोपित अभियोग की गंभीरता को देखते हुए आवेदक वर्तमान में जमानत का हकदार नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त **विवेक कुमार उर्फ विवेक कुमार यादव,** का जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

आवेदक यदि चाहें तो आरोप पत्र समर्पित होने के उपरांत नवीनीकृत जमानत आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

लेखापित,

(रंजन कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश, XI, दरभंगा।